

कारिगर कार्ड

मंत्रालय

विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), केन्द्रीय कपड़ा मुत्रालय

कारिगर कार्ड के बारे में जानकारी

कारिगर कार्ड एक ऐसा फोटो पहचान पत्र है जिससे उक्त कारिगर के शिल्प की भी पहचान होती है।

लाभ

कारिगर कार्ड की सहायता से हथकरघा एवं हस्तशिल्प की विभिन्न योजनाओं के विपणन, ऋण प्राप्ति एवं बीमा जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

अर्हताएं

- सभी कारिगर एवं शिल्पकार

आवेदन कैसे दें?

- फोटो पहचान पत्र मुख्यालय कार्यालय/विपणन केन्द्र/सेवा केन्द्र/क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- आवेदन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट http://handicrafts.nic.in/dc_hc_ad_idcard.pdf से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- पहचान पत्र निःशुल्क है।
- आवेदन जमा करने के 30 दिनों की अवधि के बाद पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
पहचान पत्र खोने की स्थिति में मूल पहचान पत्र के नम्बर तथा एफ.आई.आर. की प्रति के साथ दूसरे पहचान पत्र के लिए पुनः आवेदन दिया जा सकता है।